संख्या-23/2025/1728/22-2-2023-17(430)/2024

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 जनवरी,2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कुमार यादव उर्फ कुर्री पुत्र श्री करताराम, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023)दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कुमार यादव उर्फ कुर्री पुत्र श्री करताराम, ग्राम-गोकुलपुर, थाना-सतरिख, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 23.02.2004 को गुड्डी के साथ बलात्कार किया तथा हंसिया से मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-353/2004, धारा-376, 511,302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 08.02.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.01.2006 द्वारा यथावत रखा गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.04.2014 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2023 तक 18 वर्ष, 09 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भवना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी ललित कुमार यादव उर्फ कुर्री पुत्र श्री करताराम की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 23.02.2004 को गुड्डी के साथ बलात्कार किया तथा हंसिया से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ललित कुमार यादव उर्फ कुर्री पुत्र श्री करताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कुमार यादव उर्फ कुर्री (बंदी संख्या-509/2007) पुत्र श्री करताराम, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2025/1728(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित मिसलेनियस ऐप्लीकेशन सं0-2073/2024 अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) सं0-264/2024 बाबू व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-23/2025/1728/22-2-2023-17(430)/2024

दिनांक 18 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कुमार यादव उर्फ कुर्री पुत्र श्री करताराम, ग्राम-गोकुलपुर, थाना-सतरिख, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 23.02.2004 को गुड्डी के साथ बलात्कार किया तथा हंसिया से मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-353/2004, धारा-376, 511,302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 08.02.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.01.2006 को यथावत रखा गया। जिसे मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.04.2014 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2023 तक 18 वर्ष, 09 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भवना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।